

03/9/24 पत्रावली पेश हुई। मोई जी
उपाध्याय नहीं आए। वादी व वादी
वकील भी बार-बार आवाज लगाए
गए किंतु मोई जी उपस्थित नहीं
आए। वादी व वादी वकील के
वावजूद सूचना अटु रहने से
पत्रावली अदम लाजवी अदम पेशी
में खारिज की जाती है। पत्रावली
जमान थुगाए होकर नए से कम
हो। बाद में दायरे दंगल हो।

उपखण्ड अधिकारी
बलौड़ (कोटपुली-बलौड़)